न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2227–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.08.11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 122/निगरानी/2010–11.

———

1– बगदीराम पिता फकीरचन्द्र जाति भील

2– पन्नालाल पिता फकीरचन्द्र जी जाति भील

3– गंगाबाई पिता फकीरचन्द्र जी जाति भील
समस्त निवासीयान ग्राम पंचेवा तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम म.प्र.

4– शिवनारायण पिता नानूराम जी जाति प्रजापति

5– दुर्गाबाई पति कन्हैयालाल जी जाति प्रजापत
निवासीयान ग्राम पंचेवा, तहसील पिपलौदा
जिला रतलाम म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन जरिये
अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन

——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेई ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी. के. शुक्ला ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07, मई 2018 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 122/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 06–08–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 बगदीराम द्वारा ग्राम पंचेवा स्थित भूमि सर्वे नं. 305 रकबा 0.140 में से 0.26 आरी भूमि आवेदक क्रमांक 4 आदि को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर से कलेक्टर, रतलाम द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 26.11.10 द्वारा संहिता की धारा 165(6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की । कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त ने शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में लेकर आलोच्य आदेश दिनांक 20.7.11 द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति आदिवासी के हित में न मानते हुए अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया । इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझने में भूल की है । अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है बल्कि संपूर्ण प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर ने अंतरण की सद्भाविकता के संबंध में विस्तृत जांच की है और इस संबंध में जांच प्रतिवेदन तलब किए गए हैं । अनुविभागीय अधिकाहरी एवं तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन को मय अनुशंसा के प्रेषित किया है । प्रकरण में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना संभव न होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक क. 1 लगायत 3 द्वारा भूमि का विक्रय क्यों किया जा रहा है इस संबंध में अपने आवेदन पत्र एवं कथन में स्पष्ट विवरण किया गया है । अनुमति प्राप्त होने पर उन्होंने विधिवत विक्रयपत्र का पंजीयन कराया है, उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है तथा वह विक्रय से पूर्ण संतुष्ट है । जब विक्रेताओं को विक्रय के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद या आपत्ति नहीं है, तो उक्त स्थिति में प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में विक्रय की अनुमति दिए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख है तथा दी गई अनुमति विक्रेतओं के हित में है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है प्रकरण में कलेक्टर द्वारा दिनांक 26.11.10 को आवेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को भूमि विक्रय की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है । कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त ने शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिया जाकर यह मानते हुए कि विक्रय की अनुमति में आदिवासी पक्ष के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है तथा अनुमति आदिवासी के हित में नहीं है, कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है । इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त ने जो आधार कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने का दिया है वह प्रकरण के तथ्यों उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर ने प्रकरण में विधिवत जांच कर प्रतिवेदन बुलाया गया है । आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार को भेजे जाने पर तहसीलदार द्वारा इश्तहार का प्रकाशन किया गया है, जिस पर कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं की गई है । तहसीलदार ने जांच उपरांत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को अनुशंसा सहित प्रेषित किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को भेजा है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने उभयपक्ष को समक्ष में सुना जाकर उनके कथन अंकित किए गए हैं और तदुपरांत आवेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को उसके स्वामित्व की ग्राम पंचेवा स्थित भूमि सर्वे नं. 305 रकबा 0.140 हैक्टर भूमि में से 0.26 आरी भूमि को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की है । अपर कलेक्टर द्वारा जो शर्तें

अधिरोपित की हैं वे आदिवासी के हित में हैं नाकि उसके हितों के विपरीत । अतः इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अपर कलेक्टर द्वारा विक्रय की अनुमति में आदिवासी पक्ष के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है तथा अनुमति आदिवासी के हित में नहीं है, औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्र0क्र0 122/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 06–08–11 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर, रतलाम द्वारा प्र0क्र0 08/अ–21/10–11 में पारित आदेश दिनांक 26–11–2010 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर